ORIGINAL ARTICLE ISSN:- 2231-5063

Golden Research Thoughts

सारांश :

महिला सशक्तिकरण के इस युग में प्रगति की दौड़ में महिलाएं पुरूषों से बहुत पीछे है। राजनीति में, प्रशासन में, तकनीकी में एवम् समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है महिलाओं का उच्च शिक्षा से वंचित रहना । शिक्षा प्रगति का द्वार खोलती है, क्योकि योग्यता एवम् क्षमता में अभिवृद्धि करती है। राष्ट्रीय विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान देने हेतु व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है।

नारी शिक्षा : अतीत से वर्तमान तक

सारिका शर्मा

असिस्टैन्ट प्रोफेसर , समाज शास्त्र विभाग , राधेलाल मैमोरियल कालेज, अफजलगढ़ (बिजनौर)

प्रस्तावनाः–

महिला शिक्षा का इतिहास भारत में लगभग दो शताब्दी पुराना है। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से भारत में महिला शिक्षा के प्रयास प्रारम्भ हो गये थे, किन्तु उस समय महिलाओं के लिये आज जैसे स्कूल, कालेज नही थे। कुछ सामर्थ्यवान भारतीय एवम् अंग्रेज अपने घरों में शिक्षिका नियुक्त करने घर की महिलाओं की शिक्षा का प्रबन्ध करते थे, शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास न होकर केवल सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनाना था। इस सम्बन्ध में कल्पना शाह लिखती हैः–

''1813 के चार्टड एक्ट के अन्तर्गत ब्रिटिश शासन भारत को स्थानीय लोगों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौपा गया। इसके साथ ही कुछ उच्चाधिकारियों द्वारा इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से रूचि ली गयी। शासन द्वारा मिशनरीज को स्कूल संचालित करने हेतु वित्तीय सहायकता का प्रावधान किया गया। कुछ स्कूल अधिकारियों द्वारा स्वंय खोले गये उनकी देखभाल का जिम्मा एवम् व्यय भी अधिकारियों द्वारा स्वयं किया गया। अतः सारांश रूप में कहा जा सकता है कि भारत में स्त्री शिक्षा को प्रारम्भ करने का श्रेय अंग्रेजी शासन को जाता है''।

("Education as a empowering instrument a gender context."
All India women's conference 70th session report Page 23-24)

किन्तु कालान्तर में भारत में समाज सुधार आन्दोलनों के माध्यम से नारी शिक्षा की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में आर्य समाज, ब्रहम समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन मूल रूप से महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर ही माना गया। शिक्षा का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना न होकर उनकों अन्धविश्वासों, रूढ़ियों एवम् कुरीतियों से मुक्त करना था।

भारत के स्वंतत्र होने के बाद भारतीय संविधान में शिक्षा एवम् संस्कृति के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया (धारा 29 एवं धारा 30) समानता के अधिकार के द्वारा स्त्री और पुरूष दोनों के लिये समान शिक्षा की व्यवस्था की गयी। किसी भी प्रकार की शिक्षा स्त्रियों के लिये वर्जित नही थी। स्वंतत्रता के अधिकार द्वारा शिक्षित महिलाओं को सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार था। राजनीति में भी महिलांए मताधिकारी के स्तर एवं पर चुनाव लड़ने के स्तर पर समान अधिकारों का उपयोग कर सकती थी। किन्तु चूँकि हमारा समाज अभी रूढ़ियों और परम्पराओं से जकड़ा हुआ था। अतः महिलाओं की स्थिति में कुछ अधिक परिवर्तन नही हुआ। स्वंतत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के तीव्र विकास की योजना तैयार की गयी। किन्तु प्रथम दो पंचायत योजनाओं में शासन द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नही दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना से शासन द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना प्रारम्भ किया गया। पॉचवी पंचवर्षीय योजना में इस बात को प्राथमिकता दी गयी कि 14 वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिये। इस योजना में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विशेष व्यवस्थायें की गयी। जैसे निःशुल्क पुस्तकों का वितरण, निःशुल्क यूनीफार्म एवम् साइकिलों का वितरण, उपस्थिति अधिक होने पर पुरस्कार इत्यादि ।

नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997 से 2002) में महिला शिक्षा के साथ महिला सशक्तिकरण को एक प्राथमिक लक्ष्य बनाना गया। इसलिये महिला शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गयी। समस्त प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों की अपेक्षा कम रही। स्थिति को निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है।

Percentage of literate to total population

S. No.	Year	Percentage of literate	male	Female
1	1901	5.3	9.8	0.7
2	1911	5.9	10.6	1.1
3	1921	7.2	12.2	1.8
4	1931	9.5	15.6	2.9
5	1941	16.1	24.9	7.3
6	1951	16.7	24.9	7.3
7	1961	24.0	34.4	13.0
8	1971	29.5	39.5	18.7
9	1981	36.2	46.9	27.8
10	1991	52.1	63.9	39.2
11	2001	65.38	76.0	54.0

Source Richard L Ottinger paper was presented in the seminar at Helna Kaushik Women's College, Jhunhunu (Rajasthan)

''महिला साक्षरता की सबसे तीव्र गति से प्रगति 1961–1981 के बीच हुई जबकि साक्षर महिलाओं की संख्या लगभग दो गुनी हो गयी, 1981–1991 के मध्य में प्रगति की तीव्र गति रही और आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रगति शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रही ।''

Raj Mohini Sethe "On Literacy and Education".

यों भारत में नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत शासन को यह दायित्व सौंपा गया कि वह अनिवार्य एवम् निःशुल्क

शिक्षा का अधिकार भारतीय जनता को प्रदान करें और इस दिशा में शासन द्वारा प्रयास भी किये जाते रहे किन्तु इस नीति निर्देशत तत्व को कानून का रूप 2008 में दिया गया। जब Right to Education Bill ने कानून का रूप धारण किया। इस बिल का अर्थ है –

''वह सभी भारतीय नागरिक जो शोषित, साधन हीन अथवा अन्य किसी कारण से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे है, वह राज्य से यह माँग कर सकते है कि उन्हें शिक्षा की सुविधा प्रदान की जायें ।

(Cronical May 2010 page 20)

शिक्षा के अधिकार को मानवीय अधिकार के रूप में सन् 1989 में बाल अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मान्यता मिल चुकी है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा वर्णित व्यवस्था भारतीय शासन के लिये बाध्यकारी हो चुकी है। इस कानून की व्यवस्थाओं को लागू करने का सरकार के स्तर पर प्रयास जारी है ।

केवल अनिवार्य एवम् निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कक्षा 12 (6 वर्ष से 14 वर्ष तक) लागू करने से महिलाओं की स्थिति पुरूषों के समकक्ष नही आ सकती क्योंकि इसके लिये व्यवसायिक शिक्षा की अनिवार्य एवम् निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिये। क्योकिं यही वह बिन्दु है जहॉ से उच्च शिक्षा एवम् विकास के मार्ग का द्वार खुलता है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति आज भी पुरूषों की तुलना में निम्न है। विभिन्न स्तरों की शिक्षा में महिलाओं एवम् पुरूषों की तुलनात्मक स्थिति निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

Year 1991-1992

	Female	Male
Graduate Level	32.3%	67.7%
Post Graduate Level	34.2%	65.8%
शोध स्तर पर	36.7%	63.3%
डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स	25.5%	74.5%

महिलाओं की शिक्षा में निम्न स्थिति के कई कारण है, जैसेः–

1.महिलाओं के प्रति समाज का पारम्परिक दृष्टिकोण ।
2.महिलाओं की समाज में द्वितीय स्तर की स्थिति।
3.संसाधनों का अभाव एवम् लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा को महत्व देना।
4.महिलाओं का मुख्य कार्यक्षेत्र घर परिवार को मानना ।
5.पुरूषों का अहं भाव
6.महिलाओं की स्वंय की उदासीनता ।

अन्त में मैं कहना चाहती हूँ यदि देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करनी है तो महिलाओं की शिक्षा पर ध्यानदेना ही होगा। महिलाओं की कार्यक्षमता एवम् बौद्धिक स्तर किसी भी रूप में पुरूषों से कम नही है केवल सुविधाओं की कमी है। हालांकि इस क्षेत्र में शासन द्वारा बहुत कुछ किया जा चुका हैं। लेकिन एक लम्बा रास्ता अभी भी तय करना है। किन्तु इसके लिये संगठित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.All India Women's conference 70th Session report Page 23-24
2.Source Richard L Ottinger paper was presented in the seminar at Helna Kaushik Women's College, Jhunhunu (Rajasthan)
3.On Literacy and Education, Raj Mohini Sethe
4.Cronical May 2010 Page 20.